षोडश माला, खंड 26, अंक 16 **मंगलवार, 8 अगस्त, 2017**

17 श्रावण, 1939 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 26 में अंक 11 से 19 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल

संयुक्त सचिव

अमर सिंह

निदेशक

रजिन्दर कुमार

संयुक्त निदेशक

जगदीश चोपड़ा

उप निदेशक

© 2017 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 26, बारहवां सत्र, 2017 / 1939 (शक)

अंक 16, मंगलवार, 8 अगस्त, 2017 / 17 श्रावण, 1939 (शक)

विषय	**पृष्ठ संख्या**
मेक्सिको के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	14
सदस्यों द्वारा निवेदन	
गुजरात में एक दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष पर कथित हमले के बारे में	16-28, 94-95
प्रश्नों के लिखित उत्तर	29
तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	32-51
राज्य सभा से संदेश	52
भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन	52

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबंध में 'अनुदानों की मांगों' (2016-17) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई-संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री धर्मेन्द्र प्रधान 53

(2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 54

(क) 'व्यापार करने में सुविधा' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 127वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

(ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'बदलते वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 54

(ग) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2017-18) (मांग सं. 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। 55

श्रीमती निर्मला सीतारमण

(3) पशुपालन, डेयरी और मात्सियिकी विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'चारा और फीड विकास संबंधी उपमिशन के माध्यम से चारा की मांग और उपलब्धता के बीच की खाई पाटने के लिए उठाए गए कदम' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी संबंधी के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 55-56

श्री सुदर्शन भगत

(4) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योगों और लोक उद्यम मंत्रालय के संबंध में अनुदान मांगों (2016-17) पर उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 56

श्री बाबुल सुप्रियो

(5)(क) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो रसायन निवेश परिक्षेत्र (पीसीपीआईआर)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 57

(ख) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'स्वायत्त संस्थाओं का कार्यकरण-केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और 57

प्रौद्योगिकी संस्थान (सीपेट)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मनसुख एल. मांडविया

(6) गृह मंत्रालय से संबंधित तटवर्ती सुरक्षा स्कीम संबंधी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की कई कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 187वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 59

श्री एस.एस. अहलुवालिया

(7) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2017-18) पर खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की 15वीं प्रतिवेदन में निहित सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 60

श्री सी.आर. चौधरी

समितियों के लिए निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति 61

(2) नारियल विकास बोर्ड 62

नियम 377 के अधीन मामले 63-89

(एक) राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के किसानों को अपने खेतों की बाड़बंदी करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता 64

श्री राहुल कस्वां

(दो) रांची-टोरी गाड़ी सं. 58653/58654 के फेरों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने और उसे गढ़वा रोड तक चलाए जाने की आवश्यकता 65

श्री सुनील कुमार सिंह

(तीन) बाढ़ के दौरान जानवरों को आश्रय प्रदान करने के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क तथा पोबीटोरा वन्य जीव अभयारण्य में ऊंचे प्लेटफार्म बनाए जाने की आवश्यकता 66-67

श्री कामाख्या प्रसाद तासा

(चार) देश में एक साइबर सिक्युरिटी अथॉरिटी स्थापित किए जाने की आवश्यकता 68

प्रो. रिचर्ड हे

(पाँच) बिहार के गोपालगंज जिले में सावेया विमानपत्तन का जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता 69

श्री जनक राम

(छः) झारखंड में विभिन्न पुरानी और चालू परियोजनाओं हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता 70-71

श्री निशिकान्त दुबे

(सात) भूजल पुनर्भरण के लिए आवासीय कॉलोनियों व बहुमंजिला इमारतों के परिसरों में तालाब का प्रावधान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता 72

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

(आठ) कृषि उत्पादों के लिए समयबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता 73

मनसुखभाई धनजीभाई वसावा

(नौ) बिहार के औरंगाबाद जिले में कौशल विकास और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता 74

श्री सुशील कुमार सिंह

(दस) साइबर गेम 'ब्लू व्हेल' की जांच किए जाने की आवश्यकता 75

डॉ. किरीट सोमैया

(ग्यारह) बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक टेरशियरी कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता 76

श्री कीर्ति आजाद

(बारह) गुजरात के सरकारी उपक्रमों में विभिन्न पदों को स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए आरक्षित किए जाने की आवश्यकता 77

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

(तेरह) उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अस्पतालों में कैंसर का इलाज करने के लिए पृथक इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता 78

श्री भैरों प्रसाद मिश्र

(चौदह) भारत सरकार और नागालैण्ड के एनएससीएन (आईएन) के बीच हुए समझौते के ब्यौरे के बारे में 79

डॉ. थोकचोम मेन्या

(पंद्रह) तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुद्रा योजना के कार्यान्वयन के बारे में 80

श्री के. परसुरमन

(सोलह) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम के भुगतान की व्यवस्था में सुधार किए जाने की आवश्यकता 81-82

डॉ. के. गोपाल

(सत्रह) एयर इंडिया के विनिवेश के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता। 83

श्री दिनेश त्रिवेदी

(अट्ठारह) ओडिशा के मलकानगिरी में भारतीय जीवन बीमा निगम की एक शाखा स्थापित किए जाने की आवश्यकता 84

श्री बलभद्र माझी

(उन्नीस) मुंबई विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर बसी झोपड़पट्टी के पुनर्वास के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में 85

श्री विनायक भाऊराव राऊत

(बीस) केरल के पालक्काड़ में एक नया रेल कोच कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में 86

(इक्कीस)

श्री एम. बी. राजेश

(बाईस) 'दिशा' समिति के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता 87

श्रीमती कोथापल्ली गीता

(तेईस) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता 88

श्रीमती सुप्रिया सुले

(चौबीस) उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक नया सैनिक स्कूल खोले जाने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता 89

श्री तेज प्रताप सिंह यादव

आधारिक सीमा शुल्क में वृद्धि के बारे में सांविधिक संकल्प 90-93

श्री अरुण जेटली

<u>लोक सभा के पदाधिकारी</u>

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना दे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

<u>मंगलवार, 8 अगस्त, 2017 / 17 श्रावण, 1939 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*]

मैक्सिको के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, सबसे पहले मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ।

सभा के माननीय सदस्यों की ओर से तथा अपनी ओर से मुझे मैक्सिको की कांग्रेस के चैंबर ऑफ डेप्यूटीज़ की प्रेजीडेंट महामहिम सुश्री मारिया गुआदालुपे मुरगीआ गुतिएर्रेज तथा मैक्सिको के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है जो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं। वे रविवार, 6 अगस्त, 2017 को भारत पहुंचे थे तथा सोमवार, 7 अगस्त, 2017 को आगरा का भ्रमण किया। वे अब विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं।

भारत और मैक्सिको के बीच मैत्रीपूर्ण और अच्छे संबंध हैं। हमारे प्रधानमंत्री जून, 2016 में मैक्सिको की यात्रा पर गए थे जो बहुत सफल रही थी। दोनों पक्ष संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हो गए हैं।

मैं आने वाले शिष्टमंडल को हमारे देश में सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करती हूं। मैं उनके माध्यम से मैक्सिको की कांग्रेस, सरकार और वहां की मित्र जनता का अभिनंदन करती हूं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आज मैं आभिनंदन करती हूं, इनका भी स्वागत करती हूं, हमारे गृह मंत्री जी अब स्वस्थ होकर आए हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नम्बर 301।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आज सभी लोग एक बात समझ लीजिए, कृपा करके इसको प्रिसिडेन्ट नहीं बनायें। मगर मैं एक बात जरूर मानती हूं कि आपने जो भी एडजर्नमैन्ट नोटिस दिया है और जिस सदस्य के बारे में दिया है, आज की तारीख में वह इस सभा का सदस्य है। इसलिए मैं आपको यह मामला अभी उठाने के लिए समय दे रही हूं। मगर आप यह भी मान लीजिए कि हमारे रूल्स के मुताबिक नो सस्पेंशन ऑफ क्वैश्चन ऑवर भी है। मैं अभी इसे स्थगन प्रस्ताव के साथ नहीं ले रही हूं, आप अभी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और अगर सरकार जवाब देना चाहती है तो मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसे एडजर्नमैन्ट मोशन की तरह से मत लेना और इसे कोई प्रिसिडेन्ट भी मत बना लेना।

...(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): मैडम, सभा की मर्यादा रखते हुए मैंने एडजर्नमैन्ट मोशन नहीं दिया, मेरी जी.एस.टी. की जो प्राब्लम है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका क्या हुआ? आप अभी बैठिये, मैं बाद में देखूंगी। ऐसे तो हर एक की समस्या है। मैं स्थगन प्रस्ताव नहीं उठा रही हूँ। जय प्रकाश जी, आप बैठिये, मैं एडजर्नमैन्ट मोशन नहीं ले रही हूं।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

गुजरात में एक दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष पर कथित हमले के बारे में

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आप बोलने दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैडम स्पीकर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्व का मुद्दा उठाने के लिए मुझे समय दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष, श्री राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। वह बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गुजरात बनासकांठा पहुंचे थे। उन पर जानलेवा हमला हुआ। उनके ऊपर पत्थर फेंके गये। इस हमले में राहुल गांधी जी बाल-बाल बचे लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे टूट गये। ...(व्यवधान) इसी सदन में बीजेपी के बहुत से बड़े-बड़े नेताओं का और सरकार की ओर से भी एक वक्तव्य आया था कि जम्मू-कश्मीर में जो पथरावबाजी हो रही थी, वह टैरेरिस्ट कर रहे हैं। यह आप सब मानते हैं, लेकिन गुजरात में कौन से... *आए? वे कौन से थे, मैं वह पूछना चाहता हूं। क्या जम्मू-कश्मीर से टैरेरिस्ट आए थे? क्या गुजरात में... * इनकी जान लेना चाहते थे?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कोई आरोप नहीं।

... *(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: आरोप कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इस हमले का मकसद श्री राहुल गांधी जी को नुकसान पहुंचाना था। इस कायराना हमले में उनका एक सुरक्षा कर्मी घायल हो गया।…*(व्यवधान)* केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही या इसकी जानबूझकर अनदेखी की गई। …*(व्यवधान)* यह भी देखने वाली बात है। राहुल गांधी जी पहले असम गये थे। ऐसा पहली बार नहीं है कि वह गुजरात गये। …(व्यवधान) वह असम गये थे, राजस्थान गये थे, फिर गुजरात गये थे। गुजरात में बनासकाठा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। नुकसान हुआ है। …(व्यवधान) वहां … * पांच दिन के बाद तब गये जब कांग्रेस पार्टी ने शोर मचाया। …(व्यवधान) राज्य में बाढ़ से 270 से आधिक लोगों की मौत हो गई। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, लम्बा-चौड़ा भाषण क्यों पढ़ते हैं?

… *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जबकि बाढ़ से बनासकांठा में करीब 70 लोगों की मौत हुई। …*(व्यवधान)* जहां पर … *पांच दिन के बाद गये।…(व्यवधान) जिस वक्त यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने उठाया, उसके बाद पांच दिन के बाद चीफ मिनिस्टर गये। तो ये आज पूछ रहे हैं कि एमएलएज कहां थे?…*(व्यवधान)…* * कहां थे? पांच दिन के बाद वह वहां पहुंचे।…*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): माननीय अध्यक्ष जी, यह जो खड़गे जी ने गुजरात की जनता को... * बोलने की बड़ी अपमानजनक बात कही है।...(व्यवधान) उसको पूरा एक्सपंज करना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर कुछ भी गलत है, तो मैं इसे निकाल दूंगी।

... *(व्यवधान)*

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष जी, गुजरात की जनता को, गुजरात के कार्यकर्ताओं को कश्मीर के ... *के साथ रखना यह सरासर गलत है।...(व्यवधान) उसको पूरा एक्सपंज करना चाहिए।...(व्यवधान) खड़गे जी को...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं निकाल दूंगी।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, अगर कोई पत्थरबाजी उनके ऊपर होती तो क्या होता?...(व्यवधान) आपके लीडर के ऊपर अगर ऐसी पत्थरबाजी होती तो क्या होता?...(व्यवधान) अगर वह पथराव पीछे सीट में गिरने की बजाय आगे गिर जाता तो उनकी जान जा सकती थी।...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो लोग गोली मारकर जान लेते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात अब हो गयी है। कोई आरोप नहीं।

... (व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यहां पर पथरावबाजी करके उनकी जान लेने की कोशिश हो रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर जरा सी भी गलत बातें होंगी तो मैं उनको एक्सपंज करूंगी।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम इन बातों से डरने वाले नहीं हैं।...(व्यवधान) यह शहीद का बेटा है। ...(व्यवधान) दो जान वहां पर चली गयी हैं।...(व्यवधान) ... * इससे डरने वाले नहीं हैं। ...(व्यवधान) कांग्रेस को डराने की अगर कोई कोशिश या हिम्मत करता है, तो मैं यह कहता हूं कि...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुनिए, अब हो गया। केवल एलीगेशन पर एलीगेशन मत लगाइए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, यह तो हमारी आहिंसात्मक लड़ाई है, हिंसा की बात आप करते हैं।...(व्यवधान) गोडसे की बात आप करते हैं, लेकिन हम गांधी जी की बात करते हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए गांधी जी ने यह कहा, मैं आपके सामने यह कहता हूं कि...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी इतना भाषण क्यों करते हैं?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, मैं आपके सामने कहता हूं कि यह घटना राजनीतिक जोश की पराकाष्ठा है और लोकतंत्र के हित में नहीं है। ...(व्यवधान) कभी भी लोग मुसीबत में हों तो उनके पास जाना कोई गुनाह नहीं है।...(व्यवधान) यह कांग्रेस की परम्परा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, बस अब समाप्त करिए। पूरा समय समाप्त हो गया।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, इस परम्परा के अन्तर्गत आज यह याद दिलाना जरूरी है कि आज के दिन 8 अगस्त 1942 को भारत,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अच्छा, ठीक है। बैठिए। आपकी बात हो गयी ना। अच्छा, ठीक है। एक वाक्य पूरा करिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, यह याद दिलाना जरूरी है कि आज के दिन क्विट इंडिया का 1942 में जो डिसीजन हुआ था, उस वक्त "भारत छोड़ों आंदोलन की घोषणा करते हुए महात्मा गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जिस लोक तंत्र का मैंने विचार कर रखा है, उस लोक तंत्र का निर्माण आहिंसा से होगा जहां हर किसी के पास समान आजादी और आधिकार होंगे।" उन्होंने आगे कहा कि "इस समय जहां मैं अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी के भी मन में किसी के प्रति घृणा का निर्माण हो।" यह गांधी जी का संदेश है। आपका संदेश क्या है? घृणा है, पत्थरबाजी है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं। ऐसे नहीं। बैठिए।

... (व्यवधान) *

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, मैं चाहूंगा कि इस पर एक्शन हो और तमाम लोगों को, जिन्होंने यह काम किया है। उनके ऊपर एक्शन हो।...(व्यवधान) इस घटना के लिए बीजेपी के लोग माफी मांगे क्योंकि वह युवा कांग्रेस के नेता हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर एक्शन लो और उनके साथ जो भी लोग थेए उनके ऊपर भी एक्शन लो।...(व्यवधान) और इस सदन को आप इस बारे में बताइए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए। नहीं कोई बोलेगा। यह कोई डिसकशन का विषय नहीं है।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, मैं एक संक्षिप्त निवेदन करना चाहता हूँ।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगी।

... .*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले? यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगी। अभी चर्चा नहीं हो रही है।

... .*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: क्या आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं?

... .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, ये सभी कंडैम करना चाहते हैं, इसलिए इनको भी बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले ही बोला कि यह डिसकशन नहीं है। खड़गे जी, केवल आपका जो नोटिस था, इसलिए मैंने आपको बोलने का समय दिया है।

... (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, श्री राहुल गांधी, संसद सदस्य ने 4 अगस्त, 2017 को धनेरा और थारा, जिला बनासकाठा, गुजरात का दौरा किया था। ...(व्यवधान) राज्य पुलिस को इस दौरे के बारे में 1 अगस्त 2017 को सूचित किया।...(व्यवधान) लेकिन श्री गांधी का विस्तृत कार्यक्रम राज्य पुलिस को 3 अगस्त, 2017 को ही भेजा गया। चूंकि श्री राहुल गांधी को एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए श्री गांधी के

धनेरा, थारा और अहमदाबाद के निधाररित कार्यक्रम के संबंध में एडवांस सिक्योरिटी लायजन (एएसएल) कर लिया गया था।...(व्यवधान) एएसएल के दौरान एसपीजी, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ आधिकारी उपस्थित थे। एएसएल की रिपोर्टो में दर्ज की गई टिप्पणियां तथा राज्य आसूचना विभाग के अनुदेशों के आधार पर राज्य पुलिस ने उन सभी स्थानों पर जहां श्री गांधी को जाना था,...(व्यवधान) वहां स्टेटिक गार्ड, रूट बंदोबस्त, मोबाइल पैट्रोलिंग तथा कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए थे। राज्य पुलिस द्वारा बुलेट रैसिस्टेंट कार तथा जैमर्स की भी व्यवस्था की गई थी।

गुजरात के धनेरा में, जिस स्थान पर वे गए थे, वहां बंदोबस्त हेतु एस.पी. रैंक के दो अफसर लगाए गए थे, डीएसपी रैंक के 06 अफसर लगाए गए थे, सात इंस्पैक्टर्स थे, सब-इंस्पैक्टर-20 थे, 236 कॉन्स्टेबल्स थे और 134 की संख्या में स्टेट आर्म्ड पुलिस को भी तैनात किया गया था। इसके अलावा इस बंदोबस्त को मज़बूत करने के लिए अन्य इंतजाम, जो भी वहां की राज्य सरकार ने आवश्यक समझा, वे सारे इंतज़ाम राज्य सरकार ने किए थे। जिसकी बहुत डिटेल में जा कर यहां चर्चा करना उपयुक्त नहीं है।

थावर हैलिपेड पर पहुंच कर श्री गांधी बुलेट रेज़िस्टेंट कार की तरफ जा रहे थे, तभी उनके पीएस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए नॉन-बीआर (टोयोटा फॉर्चूनर) वाहन में बैठने के लिए कहा था। श्री गांधी ने एसपीजी टीम, कॉनवॉय मार्शल तथा स्थानीय पुलिस की बात की जगह अपने पीएस की बात को माना। पुलिस आधिकारियों की बात को नहीं माना। एसपीजी के आधिकारियों की बात को नहीं माना, बल्कि अपने पीएस की बात को माना। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ सुनिए, वही सब बता रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुनना तो पड़ेगा।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, परंतु मैं एसपीजी के आधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ कि एसपीजी ने प्रेज़ेंस ऑफ माइंड का परिचय देते हुए, एसपीजी ड्राइवर को नॉन-बुलेट रेज़िस्टेंट कार को ड्राइव करने के लिए तौनात किया। ...(व्यवधान) यानि जो दूसरे कार का ड्राइवर था, उसको इनकी जो नॉन-बीआर कार थी, उसको ड्राइव करने के लिए हमारे एसपीजी के आधिकारियों ने कहा। ...(व्यवधान) क्योंकि एसपीजी ड्राइवर ऑफेंसिव और डिफेंसिव ड्राइविंग में प्रशिक्षित होते हैं, जो कि वीवीआईपी सुरक्षा ड्या◌ुटियों के लिए आवश्यक है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब सुनिए न कि क्या-क्या किया था।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को यह जानकारी भी देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) आगे की सड़क यात्रा के दौरान एसपीजी सुरक्षा प्राप्त श्री राहुल गांधी लोगों से मिलने के लिए बार-बार वाहन से उतरते रहे तथा सुरक्षा मानदण्डों का बराबर उन्होंने उल्लंघन किया। ...(व्यवधान) वे ऐसे स्थानों पर भी रूके, जहां पर उनका कोई कार्यक्रम पूर्व निधाररित था ही नहीं, उन स्थानों पर भी वे रूके। ...(व्यवधान)

दौरे के दौरान श्री राहुल गांधी 03 बज कर 20 मिनट पर धनेरा लाल चौक पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 4000 लोगों के जन समूह को संबोधित किया। ...(व्यवधान) लगभग 500 से 700 लोगों की भीड़ सभा स्थल के समीप सड़क के सामने इकट्ठी हो गई थी। ...(व्यवधान) श्री गांधी के भाषण के दौरान दो विरोधकर्ता नारे लगाते हुए काले झंडे के साथ बाहर आए। ...(व्यवधान) इन लोगों को तत्काल पुलिस ने रोक लिया। ...(व्यवधान) यद्यपि यह सभा 15 से 20 मिनट तक चलनी थी, किंतु श्री गांधी 7-8 मिनट में ही थावर हैलीपेड के लिए निकल गए। ...(व्यवधान) जब उनका काफिला लाल चौक को पार कर रहा था, तभी भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक पत्थर फेंका, जिससे पिछले बांये दरवाजे की खिड़की, जो नॉन-बीआर कार थी, उसका शीशा टूट गया। ...(व्यवधान) इस घटना में श्री गांधी को कोई चोट नहीं आई। ...(व्यवधान) परंतु उनके एसपीजी के पीएसओ को बांए हाथ में चोट आई। ...(व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.19 बजे</u>

(इस समय, श्री राजीव सातव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

महोदया, इस संबंध में राज्य की ओर से स्थानीय पुलिस द्वारा धनेरा पुलिस थाना में अपराध संख्या 59/2017 के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332, 337 और 427 के अंतर्गत अज्ञात आभियुक्तों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है, तथा इसकी जांच चल रही है।...(व्यवधान) जांच के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी गुजरात की पुलिस ने किया है, जो अभी न्यायिक हिरासत में है। ...(व्यवधान) इस घटना को गंभीरता से लेते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस घटना के सभी सुसंगत पहलुओं की जांच कराने के लिए, उसी दिन अपर पुलिस महानिदेश रैंक के एक आधिकारी को नियुक्त कर दिया है। ...(व्यवधान) पूरे मामले की जांच करने के लिए एडीजी रैंक के आधिकारी को नियुक्त किया है। ...(व्यवधान)

यह उल्लेखनीय है कि श्री गांधी को बुलेट रेसिस्टेंट कार का प्रयोग करना चाहिए था, जो एक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के रूप में उनको करना अपेक्षित है।...(व्यवधान) ऐसा करने पर इस घटना के सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस को प्रभावी तरीके से निष्प्रभावी किया जा सकता था।...(व्यवधान) लेकिन जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे, उन्होंने उनका पूरी तरह से उल्लंघन किया।...(व्यवधान)

धनेरा से प्रस्थान करने के बाद तथा अपने अगले कार्यक्रम के लिए थारा पहुँचने पर एसपीजी ने श्री गांधी को पुनः बुलेट रेसिस्टेंट कार का प्रयोग करने की सलाह दी, किन्तु वे उससे भी सहमत नहीं हुए।...(व्यवधान) यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का वायलेशन किया।...(व्यवधान) सुरक्षा सम्बन्धी सलाह को नजरअंदाज करते हुए वे फिर नॉन-बीआर पार्टी कार से ही गए।...(व्यवधान) उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने स्वयं को खतरे में डालकर, जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम लगी थी, उसने स्वयं अपने को खतरे में डालकर वाहन के फुट बोर्ड पर खड़े होकर श्री गांधी को बॉडी कवर उस समय प्रदान किया।...(व्यवधान)

यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी श्री गांधी इस प्रकार की जो भी सिक्योरिटी एडवाइजरीज रही हैं, जो सुरक्षा सलाह रही हैं, उनको बराबर नजरअंदाज करते रहे हैं।...(व्यवधान) बराबर उसकी अवहेलना करते रहे हैं।...(व्यवधान) इसके पहले भी 21 जुलाई को राजकोट (गुजरात) का दौरा उन्होंने किया था।...(व्यवधान) उस समय भी श्री गांधी को एसपीजी द्वारा दी गई बुलेट रेसिस्टेंट कार का प्रयोग करने की जो सलाह दी गयी, उसकी भी उन्होंने अवहेलना कर दी।...(व्यवधान) उसकी भी उपेक्षा कर दी।...(व्यवधान) फिर से नॉन बुलेट रेसिस्टेंट कार में जाकर व बैठकर उन्होंने अपनी यात्रा की।...(व्यवधान)

महोदया, मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले दो वर्षों में 121 निधाररित तथा गैर-निधाररित आंतरिक दौरे यानी इस देश में उनके दौरे हुए हैं, जिनमें उन्होंने बुलेट रेसिस्टेंट कार का प्रयोग न करके 100 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर नॉन-बुलेट रेसिस्टेंट कार का इस्तेमाल किया।...(व्यवधान) ये उल्लंघन कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा तथा श्री राहुल गांधी के कार्यालय के ध्यान में भी लाये गये हैं।...(व्यवधान) जब-जब इन्होंने, जो सिक्योरिटी नॉर्म्स होते हैं, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका उल्लंघन किया है, वह उस पार्टी की अध्यक्षा के भी संज्ञान में लाये गये हैं, पार्टी कार्यालय के संज्ञान में भी लाये गये हैं, राहुल गांधी के भी संज्ञान में लाये गये हैं, परन्तु उनके कार्यालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।...(व्यवधान)

इसी प्रकार, श्री राहुल गांधी सुरक्षा सलाह को नजरअंदाज करते हुए विदेशी दौरों के सम्बन्ध में भी एसपीजी को प्रस्थान के समय से मात्र कुछ घंटे पहले ही सूचित करते हैं। इससे सुरक्षा प्रबंध, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंश्योर करने के लिए एसपीजी को जितना समय मिलना चाहिए, उतना समय नहीं मिल पाता है।...(व्यवधान) पिछले दो वर्ष में श्री गांधी छह विदेशी दौरों में 72 दिन बाहर रहे हैं।...(व्यवधान) इन 72 दिनों की अवधि में एसपीजी कवर उनके साथ नहीं रखा गया है।...(व्यवधान) यह स्वाभाविक है, यह देश जानना चाहेगा, यह सदन जानना चाहेगा कि वे विदेश में कहाँ गये।...(व्यवधान) क्यों नहीं उन्होंने एसपीजी कवर लिया?...(व्यवधान) एसपीजी कवर तो इसीलिए मिला हुआ है, वे चाहे देश में रहें अथवा विदेश में रहें, बराबर

एसपीजी कवर उनके साथ रहेगा, लेकिन वे जानबूझकर एसपीजी कवर को इसी देश में छोड़ देते हैं और विदेशों की यात्रा करते हैं।...(व्यवधान)

एसपीजी सुरक्षा प्रदत्त व्यक्ति को सिक्योरिटी कवर संसद के आधिनियम के तहत प्राप्त होता है।...(व्यवधान) इसी संसद ने एसपीजी एक्ट बनाया है।...(व्यवधान) एसपीजी सुरक्षा प्रदत्त व्यक्ति को हर समय सुरक्षा उपलब्ध कराने और इसकी जिम्मेदारी एसपीजी को सौंपने में संसद की इच्छा तथा विवेक को भी दर्शाता है।...(व्यवधान) यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, अध्यक्ष महोदया, मैं यहाँ पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि एसपीजी कवर को प्रोटेक्टी से हटाया नहीं जा सकता है।...(व्यवधान) "यह रक्षक के साथ उसी तरह चलता है, जैसे छाया किसी व्यक्ति के साथ चलती है। ”यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।...(व्यवधान) यह एसपीजी पर निर्भर है कि वह प्रोटेक्टी के लिए कैसे सार्थक सुरक्षा प्रदान करे।...(व्यवधान) प्रोटैक्टी को एसपीजी की प्रोफैशनल एडवाइस माननी चाहिए। एसपीजी कवर के बिना विदेश जाना वास्तव में न केवल एसपीजी एक्ट का उल्लंघन है, परंतु स्वयं की सुरक्षा हेतु भी यह लापरवाही है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जिस समय राहुल गांधी जी का गुजरात का दौरा था, उसी समय वहाँ के मुख्य मंत्री का भी दौरा चल रहा था, लेकिन वहाँ के मुख्य मंत्री के खिलाफ कहीं से भी कोई नारेबाज़ी नहीं हुई, कहीं से कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। क्या कारण है कि राहुल गांधी के खिलाफ, और जिस पार्टी के वे उपाध्यक्ष हैं, वह वहाँ विरोध पक्ष में है, विरोध पक्ष के नेता के खिलाफ यदि जनता यह नारेबाजी कर रही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को यह विचार करना चाहिए कि क्यों इस प्रकार के हालात पैदा हुए। ...(व्यवधान) हर प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार ने मुहैया कराई थी। जो लोग भी पत्थर फेंकने वाले थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी की है। इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई भी देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, मैं पुनः इस सदन को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही। मैं जानता हूँ कि शायद कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं यह मानकर चलता हूँ एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि यदि राहुल गांधी गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए तो शायद उनकी यह मंशा रही हो कि जो आपदा राहत वहाँ की सरकार के द्वारा दी जा रही है, उसका वह जायज़ा लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की यात्रा उन्होंने आपदा राहत का जायज़ा लेने के लिए नहीं की, बल्कि शायद आपदा पर्यटन के लिए वहाँ पर वे बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने के लिए गए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था एक ड्रिल है जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करती है। सारी की सारी सुरक्षा उस समय धरी रह जाती है, जब सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति ही सुरक्षा के सारे नॉर्म्स का, सुरक्षा के सारे सुझावों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दे। एक नहीं, दो दो वीआईपी कार उनको मुहैया कराई गई थीं, फिर भी वह थर्ड पार्टी कार में जाकर बैठे। क्यों ऐसा किया, यह हमारी समझ के बाहर है। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी इस देश की अनमोल धरोहर हैं। उनके ऊपर यदि इस प्रकार की कहीं से भी कोई पत्थरबाज़ी होती है तो हम सबके लिए यह चिन्ता का विषय है। धनेरा में पत्थर चलने के बाद भी वे नॉन वीआईपी कार में जाकर बैठ गए। राहुल जी की सुरक्षा के प्रति अवहेलना की बातें कई बार संज्ञान में आई हैं। जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था कि वे बार-बार विदेश यात्राओं में भी एसपीजी को साथ लेकर नहीं जाना चाहते। मैं जानना चाहता हूँ कि वे क्या छिपाना चाहते हैं कि जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो अपने साथ एसपीजी को लेकर नहीं जाते, वे किस बात को छिपाना चाहते हैं ? ...(व्यवधान) यह सदन भी जानना चाहेगा, देश भी जानना चाहेगा। एसपीजी की सुरक्षा एसपीजी एक्ट के तहत उन्हें मिली है, लेकिन यह बहुत ही विडंबना है कि बराबर एसपीजी द्वारा जो सलाह दी जाती है, जो प्रोटोकॉल होता है, उनके द्वारा बराबर उसका उल्लंघन होता है। बनासकांठा में जो कुछ भी हुआ, वह निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, उसे किसी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। पत्थर चाहे किसी पर चले, चाहे वह राजनीतिक कार्यकर्ता

हो, नेता हो, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता अथवा नेता क्यों न हो, अथवा हमारे सेना की सुरक्षा के जवान ही क्यों न हों, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। ...(व्यवधान)

मैं अंत में पुनः अपनी गुजरात सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि ज्यों ही इस घटना की जानकारी उनके संज्ञान में आई, तुरंत गुजरात की सरकार ने कार्रवाई की है। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : आपने डिमांड किया तो राजनाथ सिंह जी ने पूरी बात कही। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? ऐसे तो कुछ नहीं होता है। आपको सीट पर जाना पड़ेगा। खड़े भी रहें, रोज रोज यह नहीं चलता।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे माफ कीजिये। अब, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सबसे पहले, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाइए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320 ,

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 301 – कुमारी सुष्मिता देव।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>पूर्वाह्न 11.30 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.01

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ सदस्यों से विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। हालांकि, ये मामले महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आज के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न किया जाए। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान): डॉ. हर्ष वर्धन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7384/16/17]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): श्री एस.एस. अहलुवालिया की ओर से, मैं बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं और सोलहवीं लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रत्येक कथन की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

बारहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 44 चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7385/16/17]

तेरहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या 36 बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7386/16/17]

चौदहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या 26 आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7387/16/17]

4. विवरण संख्या 31 नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7388/16/17]

5. विवरण संख्या 28 दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 7389/16/17]

6. विवरण संख्या 27 बारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7390/16/17]

7. विवरण संख्या 30 तेरहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7391/16/17]

8. विवरण संख्या 28 चौदहवाँ सत्र,2008

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7392/16/17]

पंद्रहवीं लोक सभा

9. विवरण संख्या 31 दूसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7393/16/17]

10. विवरण संख्या 26 तीसरा सत्र, वर्ष 2009

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7394/16/17]

11. विवरण संख्या 26 चौथा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7395/16/17]

12. विवरण संख्या 25 पांचवां सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी.

7396/16/17]

13. विवरण संख्या 25 छठा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7397/16/17]

14. विवरण संख्या 22 सातवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7398/16/17]

15. विवरण संख्या 23 आठवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7399/16/17]

16. विवरण संख्या 22 नौवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7400/16/17]

17. विवरण संख्या 21 दसवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7401/16/17]

18. विवरण संख्या 19 ग्यारहवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7402/16/17]

19. विवरण संख्या 18 बारहवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7403/16/17]

20. विवरण संख्या 17 तेरहवां सत्र, 2013

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7404/16/17]

21. विवरण संख्या 14 चौदहवाँ सत्र,2013

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7405/16/17]

22. विवरण संख्या 13 पंद्रहवां सत्र, 2013-14

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.

7406/16/17]

सोलहवीं लोक सभा

23. विवरण संख्या 12 दूसरा सत्र, 2014

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7407/16/17]

24. विवरण संख्या 11 तीसरा सत्र, वर्ष 2014

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7408/16/17]

25. विवरण संख्या 10 चौथा सत्र, 2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7409/16/17]

26. विवरण संख्या 8 पांचवां सत्र, 2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7410/16/17]

27. विवरण संख्या 7 छठा सत्र, 2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7411/16/17]

28. विवरण संख्या 5 सातवां सत्र, 2016

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7412/16/17]

29. विवरण संख्या 5 आठवां सत्र, 2016

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7413/16/17]

30. विवरण संख्या 4 नौवां सत्र, 2016

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7414/16/17]

31. विवरण संख्या 2 दसवां सत्र, 2016

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7415/16/17]

32. विवरण संख्या 2 ग्यारहवां सत्र, 2017

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7416/16/17]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता

(1) पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2008-2009 से 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7417/16/17]

(3) दिल्ली पुलिस आधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अंतर्गत दिल्ली

पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त (वरिष्ठ शोध अधिकारी) 2017, जो 7 जुलाई, 2017 के दिल्ली के राजपत्र में आधिसूचना संख्या एफ.13/20/99/गृह (पी)/स्थापना/1641-1644 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7418/16/17]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) : महोदया, मैं निम्लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7419/16/17]

(3) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीजडेवलपमेंटकारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष2009-2010 से 2011-2012के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीजडेवलपमेंटकारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष2009-2010 से 2011-2012का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7420/16/17]

(5) नाशक कीट और नाशक जीवन आधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2017, जो 7 जुलाई 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का.आ. 2152(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7421/16/17]

(6) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चर प्रोड्या ूस मावेरटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1997-98 से 2015-2016 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को उसमें उल्लिखित संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निधाररित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7422/16/17]

(7) आवश्यक वस्तु आधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) का.आ. 2315(अ) जो 25 जुलाई अक्टूबर, 2017के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सिटी कम्पोस्ट के विनिर्माताओं, जो उसमें उल्लिखित हैं, जो किसानों को बड़ी मात्रा में सिटी कम्पोस्ट विक्रय करने के लिए आधिकृत किया गया है।

(2) उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा आदेश, 2017जो8 मई, 2017 केभारत के राजपत्र मेंआधिसूचना सं.का.आ.1444(अ) प्रकाशित हुए थे।

(3) का.आ.1445(अ) जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ थातथा जिसके द्वारा आधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में आयात किए जाने वाले उर्वरकों के संबंध में विशिष्टताओं, जो उसमें उल्लिखित हैं, को आधिसूचित किया गया है।

(4) का.आ.1446(अ) जो 8 मई, 2017के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ थातथा जिसके द्वारा आधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत मेंविनिर्मित किए जाने वाले अस्थायी उर्वरक 24-24-0 के संबंध में विशिष्टताएं, आधिसूचित की गई हैं।

(5) का.आ.1447(अ) जो 8 मई, 2017के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ थातथा जिसके द्वारा 9 नवम्बर, 1987 की आधिसूचना संख्या का.आ. 997(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7423/16/17]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गृह मंत्रालय सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड ड्राफ्ट्समैन कैडर समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 153 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल, सहायक उप-निरीक्षक (स्टेनोग्राफर) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 6 मई, 2017 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 151 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड ड्राफ्ट्समैन कैडर समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 189 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड सहायक उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ख' गैर-राजपत्रित पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 188 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड पैरा मेडिकल स्टाफ समूह 'ख' गैर-राजपत्रित पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 186 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड पैरा मेडिकल स्टाफ समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 185 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड सहायक, उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 183 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड मोटर ट्रांसपोर्ट एवं मैकेनिक कैडर (गैर-राजपत्रित) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 155 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड पैरा वेटरनरी (गैर-राजपत्रित) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 184 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ड्राइवर) समूह 'ग' भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 4 मार्च, 2017 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 60 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड कम्युनिकेशन कैडर समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 171 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड (सामान्य ड्यूटी) सैकेंड-इन-कमांड, डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट समूह'क' भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 502 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड (राजपत्रित) अनुसचिवीय और निजी सचिव संवर्ग समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 498 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह)सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 152 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड ट्रेड्समैन संवर्ग समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 172 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड चिकित्सा संवर्ग (गैर-व्यवसायी) समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 8 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 229 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड निरीक्षक (पशु-चिकित्सा) अराजपत्रित समूह 'ख' पैरा-पशु चिकित्सा संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 190 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड (अराजपत्रित) पायोनियर संवर्ग, पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 154 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) सशस्त्र सीमा बल, समूह 'क' कम्बैटाइज्ड इंजीनियरी संवर्ग पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 5 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 837 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड कवच संवर्ग (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 182 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड (अराजपत्रित) पैरा-पशु चिकित्सा भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 187 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7424/16/17]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:-

(एक) सीमा सुरक्षा बल, सहायक समादेष्टय (राजभाषा) समूह 'क' योद्धक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 19 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 933 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, योद्धक सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 19 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 934 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल, (योद्धक अनुसचिवीय संवर्ग) समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 19 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 935 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7425/16/17]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम और सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7426/16/17]

(2) निःशक्त व्यक्ति आधिकार आधिनियम, 2016 की धारा 100 की उपधारा (3) के अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति आधिकार नियम, 2017 जो 15 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं. सा.का.नि. 591(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र जो 21 जुलाई, 2017 की आधिसूचना सं. सा.का.नि.939 (अ) में (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7427/16/17]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् आधिनियम, 1984 की धारा 66 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित आधिसूचना की एकएक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हता को मान्य दिए जाने और उनकी मान्यता समाप्त किए जाने की प्रक्रिया) नियम, 2017 जो 22 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं. सा.का.नि.489(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 456(अ) जो 12 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1985 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7428/16/17]

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आधिनियम, 1987 की धारा 48 के अंतर्गत एनडीडीबी (निधि, लेखा आौर बजट का प्रशासन) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 13 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं. डीईएल: एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7429/16/17]

[अनुवाद]

भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7430/16/17]

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारतीय उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7431/16/17]

(तीन) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7432/16/17]

(चार) सांभर साल्ट्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7433/16/17]

(पांच) बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7434/16/17]

(छह) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7435/16/17]

(सात) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इं) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7436/16/17]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय- संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2017 का संख्यांक 29)- बीएचईएल की प्रतिस्पर्धिता के बारे में कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7437/16/17]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 20152016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7438/16/17]

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मंडाविया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7439/16/17]

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7440/16/17]

(तीन) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7441/16/17]

(चार) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7442/16/17]

(पांच) प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7443/16/17]

(छह) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7444/16/17]

(सात) नेशनल कैमिकल्स फर्टीलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7445/16/17]

(आठ) फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7446/16/17]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 204-205 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 204-205 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7447/16/17]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1345 (अ) जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह आदेश दिया गया है जिसमें खरीफ, 2017 के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र को यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति दर्शाई गई है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7448/16/17]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): मैं भारतीय खाद्य निगम और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 7449/16/17]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 3 अगस्त, 2017 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 जुलाई, 2017 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई। "

अपराह्न 12.04 बजे

भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन *

[अनुवाद]

महासचिव: महोदया, मैं 17 से 21 अक्टूबर, 2015 तक जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 133वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन का हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया।

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबंध में 'अनुदानों की मांगों' (2016-17) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई-संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): अध्यक्ष महोदया, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबंध में 'अनुदानों की मांगों' (2016-17) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई-संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7450/16/17

<u>12.05 1⁄2 बजे</u>

(2) (क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'व्यापार करने में सुविधा' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 127वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'व्यापार करने में सुविधा' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 127वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ।

(ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एल.टी. 7451/16/17 एवं 7452/16/17

(ग) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2017-18) (मांग सं 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2017-18) (मांग सं. 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ।

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

(3) पशुपालन, डेयरी और मात्सियिकी विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'चारा और फीड विकास संबंधी उपमिशन के माध्यम से चारा की मांग और उपलब्धता के बीच की खाई पाटने के लिए उठाए गए कदम' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : महोदया, मैं पशुपालन, डेयरी और मात्सियिकी विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'चारा और फीड विकास संबंधी उपमिशन

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एल.टी. 7453/16/17 और 7455/16/17

के माध्यम से चारा की मांग और उपलब्धता के बीच की खाई पाटने के लिए उठाए गए कदम' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.06 1⁄4 बजे

[अनुवाद]

(4) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और लोक उद्यम मंत्रालय के संबंध में अनुदान मांगों (2016-17) पर उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): मैं भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और लोक उद्यम मंत्रालयके संबंध में अनुदान मांगों (2016-17) पर उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 7456/16/17

<u>अपराह्न 12.06 1⁄2 बजे</u>

(5)(क) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो रसायन निवेश परिक्षेत्र (पीसीपीआईआर)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 17[17वें] प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मनसुख एल.मंडाविया): मैं रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो रसायन निवेश परिक्षेत्र (पीसीपीआईआर)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

(ख) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'स्वायत्त संस्थाओं का कार्यकरण-केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीपेट)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।*

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मनसुख एल. मंडाविया): मैं रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एल टी. 7457/16/17 तथा 7458/16/17।

और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'स्वायत्त संस्थाओं का कार्यकरण-केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीपेट)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

(6) गृह मंत्रालय से संबंधित तटवर्ती सुरक्षा स्कीम संबंधी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की कई कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 187वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[हिन्दी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): महोदया, मैं श्री किरेन रिजिजू जी की ओर से गृह मंत्रालय से संबंधित तटवर्ती सुरक्षा स्कीम संबंधी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 187वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7454/16/17

अपराह्न 12.07 ½ बजे

(7) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2017-18) पर खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट

सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[†*]

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. आर. चौधरी): मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2017-18) पर खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

[*] [†*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7459/16/17

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

<u>समितियों के लिए निर्वाचन</u>

(1) लोक लेखा समिति

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकान्त दुबे

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 28 जुलाई, 2017 को अवकाश प्राप्त श्री शांताराम नाईक और 18 अगस्त, 2017 को राज्य सभा से अवकाश प्राप्त करने वाले श्री सुखेन्दु शेखर राय के स्थान पर लोक लेखा समिति की अव्यपगत अवधि के लिए समिति से सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 28 जुलाई, 2017 को अवकाश प्राप्त श्री शांताराम नाईक और 18 अगस्त 2017 को राज्य सभा से अवकाश प्राप्त करने वाले श्री सुखेन्दु शेखर राय के स्थान पर लोक लेखा समिति की अव्यपगत अवधि *<u>के</u>* लिए समिति से सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने केलिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 ½ बजे

(2) नारियल विकास बोर्ड

[हिन्दी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि नारियल विकास बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 4 (1) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड आधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त आधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निवारचित करें।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि नारियल विकास बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 4(1) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

[अनुवाद]

नियम 377* के अधीन मामले

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सदन के पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के तहत मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां सौंप सकते हैं।

केवल उन मामलों को निर्धारित समय के भीतर माना जाएगा जिनके लिए पर्ची सभा पटल पर प्राप्त की गई है और बाकी को व्यपगत माना जाएगा।

---

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(एक) राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के किसानों को अपने खेतों की बाड़बंदी करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : हाल ही में राजस्थान सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों को तारबन्दी व सुरक्षा के लिए कम से कम ढ़ाई बीघा व आधिकतम 9 बीघा जमीन के लिए आधिकतम 40000 रू. या कुल कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान देने की धोषणा की है जो छोटे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आज के दिन राजस्थान के किसान की हालत बहुत दयनीय हे। प्रत्येक किसान आवारा पशुओं से परेशान है। चरू जिले में जोत सीमा तो आधिक है ही साथ ही यहां के 85 प्रतिशत से आधिक किसान वर्षा आधारित खेती पर निर्भर है जिनके पास वर्षा के अलावा सिचांई के अन्य कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र के सभी किसानों के बाड़बन्दी एवं तारबन्दी हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान जारी करते हुए 9 बीघा क्षेत्र से आधिक जमीन वाले किसानों को भी राजस्थान सरकार की तर्ज पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि करावें एवं इस आवेदन की प्रक्रिया ऑन-लॉइन होनी चाहिए और सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जमा होनी चाहिए ताकि बिचौलियों से किसान को राहत मिल सके।

(दो) रांची-टोरी गाड़ी से 58653/58654 के फेरों की संख्या में बढ़ोतरी करने और उसे गढ़वा रोड तक चलाए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2017 को रांची से टोरी के बीच नई रेल लाईन का उद्घाटन किया था और रांची-टोरी पैसेंजर गाड़ी चालू की गई। वर्तमान में रांची से टोरी के बीच एकमात्र सेंजर गाड़ी संख्या 58653-58654 चलती है। यह गाड़ी रांची से सुबह 9.30 बजे चलकर टोरी 12.05 बजे और वापस 12.35 बजे टोरी से चलकर 15.10 बजे रांची पहुँचती है। इस गाड़ी का एक ही फेरा होने से बहुत बड़ी समस्या हो रही है और यात्री भी कम मिल रहे हैं। क्योंकि रांची टोरी या टोरी से रांची जाने वाला व्यक्ति कोई काम करके ट्रेन से वापस अगले दिन ही आ सकता है। दैनिक मजदूरी और दैनिक कार्य करके वापस आने के लिए दोनों तरफ से ट्रेन का परिचालन आनिवार्य है।

अतः मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि रांची-टोरी-रांची के बीच ट्रेन सुबह और शाम दोनों तरफ से यानी दो फेरे एक दिन में किया जाएं, जिससे दिहाड़ी मजदूरों और दैनिक कार्य के लिए आमजन को इसका लाभ मिले सकें।

साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि रांची से गढ़वा रोड के बीच एक भी पैंसेंजर गाड़ी नहीं है। राँची से टोरी पैसेंजर गाड़ी को अगर गढ़वा रोड तक परिचालित किया जाता है तो डाल्टनगंज, बरवाडीह, लातेहार और गढ़वा जैसे प्रमुख स्थानों के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में रेलवे आधिकारियों को पूर्व में सुझाव दिया गया था। यह क्षेत्र अत्यंत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर सड़क मार्ग से आवागमन के बहुत ही कम सार्वजनिक साधन हैं और इस मार्ग पर एक भी सवारी गाड़ी नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किल से यात्रा करनी पड़ती है।

अतः मैं रेल मंत्रालय से माँग करता हँ कि रांची-टोरी सवारी गाड़ी 58653/58654 का परिचालन गढ़वा रोड तक करवाने के निर्देश प्रदान करें।

(तीन) बाढ़ के दौरान जानवरों को आश्रय प्रदान करने के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क तथा पोबीटोरा वन्य जीव अभयारण्य में ऊंचे प्लेटफार्म बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कामख्या प्रसाद तासा (जोरहाट): काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पोबीटोरा वन्य जीव अभयारण्य, दोनों असम में स्थित भारत और विदेशों में पर्यटकों के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण वन्य जीव स्थल हैं। दोनों बड़ी संख्या में जंगली जानवरों और बहुमूल्य पौधे रहते हैं, जिससे आस-पास के क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहता है।

हालांकि, दोनों पार्क बाढ़ संभावित क्षेत्रों में स्थित हैं। हर साल बाढ़ के कारण जानवरों को बहुत नुकसान होता है, इस मौसम में भी बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। जानवरों की मौत का एक बड़ा कारण दोनों पार्कों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। बाढ़ के दौरान, कई जानवरों को आश्रय के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर आना पड़ता है और यह वास्तव में सबसे बड़ा जोखिम है। हर साल कई लुप्तप्राय गैंडे, हिरण, बाघ, जंगली भैंस, जंगली सूअर, भौंकता हिरण, तेंदुए या तो वाहनों से मारे जाते हैं या शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं।

इसे कम करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है। पर्यावरणविदों का मानना है कि कम से कम काजीरंगा की वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने के लिए हर साल सीमित मात्रा में बाढ़ की आवश्यकता होती है। हालांकि, जानवरों की मौत स्वीकार्य नहीं है। तत्काल उपाय के रूप में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाए जहां जानवर बाढ़ के दौरान आश्रय ले सकें। इसके लिए, पहले दोनों पार्कों में उचित स्थानों की पहचान की जानी चाहिए ताकि मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचे। वन अधिकारियों के अलावा, स्थानीय लोगों और स्थानीय पर्यावरणविदों को भी ऊंचे प्लेटफार्मों के सटीक स्थानों की पहचान करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

दीर्घकालिक समाधान के रूप में, मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्गों को मोड़ा जाए ताकि ये राष्ट्रीय उद्यानों से होकर न गुजरें। यह असम के लोगों की लंबे समय से मांग रही है और माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान ले सकते हैं।

(चार) देश में एक साइबर सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रिचर्ड हे (नामनिर्देशित): देश में डिजिटलीकरण समय की मांग बन गया है। डिजिटलीकरण मोड का उपयोग करके लेनदेन की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। संभावनाएँ हैं कि विदेशी देश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद विशाल डेटा में सेंध लगा रहे हैं।

इसलिए, भारत सरकार से आग्रह है कि साइबर अपराध के गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए एक साइबर सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जाए।

(पांच) बिहार के गोपालगंज जिले में सावेया विमान पत्तन का जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जनक राम (गोपालगंज) : मेरे संसदीय क्षेत्र गोजालगंज में (हथुआ) सावेया हवाई अड्डा एक ऐसा हवाई अड्डा है जहां से 1962 में चीन से युद्ध लड़ा गया था जो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यहां से चीन नेपाल का बार्डर भी करीब है। सारण प्रमंडल से खाड़ी देश में एवं विदेश में हजारों लोग रोजगार के लिए विदेश हवाई यात्रा करने हेतु दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता जाने के लिए मजबूर हैं तथा गोपालगंज एक ऐसा जिला है जहां से उ.प्र. करीब हैं। सावेया हवाई अड्डा निर्माण से सामरिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भारत देश को काफी मजबूती मिलेगी। मैं यह बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब खाड़ी देश के दौरे पर थे तो सारण प्रमंडल गोपालगंज के युवाओं से बात हुई थी। बात करते उन्होंने युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा था कि मेरी सरकार आई तो गोपालगंज में (हथुआ) सावेया हवाई अड्डे का निर्माण होगा। यह 377 दूसरी बार मैं सदन में रख रहा हूँ। मैं स्थानीय सांसद होने के नाते भारत सरकार से एवं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय पी. गजपति राजू जी से प्रार्थना करता हूँ कि गोजालगंज जिला आति पिछड़े जिलों में से है। यहां पर इस हवाई अड्डे का जीर्णोद्धार कराया जाए।

(छह) झारखंड में विभिन्न पुरानी और चालू परियोजनाओं हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): द्वितीय झारखंड राज्य सिंचाई आयोग ने राज्य में जल संसाधनों का आकलन किया है और 16 नदी घाटियों की पहचान की है जिनका उपयोग प्रमुख, मध्यम और लघु सिंचाई योजना के माध्यम से किया जा सकता है। आयोग ने राज्य की इन जलाशय योजनाओं की संभावनाओं की पहचान की थी जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

(1) मोतिहारा नदी पर कालीपुर जलाशय योजना।

(2) भुरभुरी नदी पर भुरभुरी जलाशय योजना।

(3) तेपरा नदी पर बिशनपुर जलाशय योजना।

(4) जमुना नदी पर जमुनिया जलाशय योजना।

(5) बांसलाई नदी पर गोड्डा में परगोडीह (पोरैयाहाट) के पास बांसलाई जलाशय योजना।

(6) गोड्डा में डुमरिया बियर।

(7) गोड्डा में पकारिया बियर।

(9) सुग्गा बथान जलाशय योजना,

(10) कृष्णसागर जलाशय योजना। फिलहाल काम रुका हुआ है।

निम्नलिखित पुरानी और चल रही परियोजनाओं को सहायता की आवश्यकता हैः

(1) पुनासीः दिल्ली में फॉरेस्ट क्लीयरेंस का इंतजार।

(2) त्रिवेणीः ईंट लाइनिंग के टेंडर की प्रतीक्षा है।

(3) सुगाबथान: डी.पी.आर. प्रक्रिया में है, परियोजना 1978 में शुरू हुई।

(4) सुंदर बांध: कमांड एरिया को नहीं मिल रहा पानी, ठेकेदारों को सालाना 4-5 करोड़ रुपए दिए जा रहे।

(5) हरनाबीर: 1980 से बंद।

(6) बुढाईः 1978 में शिलान्यास, सीडब्ल्यूसी में मंजूरी की प्रतीक्षा।

(7) सैदापुर और तारडीह बियर: डी.पी.आर. का इंतजार है।

(8) दरव्हा और दहुआ बीयर: 13वें वित्त आयोग के माध्यम से राशि दी गई।

(9) कझिया, सोनपुर, भौरा बांध, लहटन पकारिया एक्सटेंशन।

(10) कृष्णसागर: 1985 में काम शुरू हुआ

(11) त्रिकुट जलाशयः 2010 में प्रशासनिक मंजूरी, वन मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है।

(12) राजा बांध और महागामा नहरः 1985 से लंबित है।

(13) लघु सिंचाई की 200 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएँ। 5 प्रमुख तालाब, एआईबीपी के तहत आरआरआर नीति और श्रृंखला चेक बांधों में केंद्र 90% तक निधि आवंटित कर रहा है, लेकिन राज्य लाभ लेने में असमर्थ है।

राज्य को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए राज्य के लिए राज्य योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए नई योजनाएं लेना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये पुरानी परियोजनाएं हैं और केंद्र सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। नई परियोजनाओं के विस्तृत सर्वेक्षण और डी.पी.आर. की अभी प्रतीक्षा है।

(सात) भूजल पुनर्भरण के लिए आवासीय कॉलोनियों व बहुमंजिला इमारतों के परिसरों में तालाब का प्रावधान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): भूगर्भ जल की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। जल के अत्यधिक दोहन तथा प्रदूषण के कारण यह समस्या अत्यंत गंभीर रूप ले चुकी है। भूगर्भ जल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। इस समस्या के निराकारण के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने समग्र सोच के साथ अनेक कार्यक्रम चलाये हैं। पानी का संयमित उपयोग, पांच लाख तालाबों का पुनरूद्धार, व्यापक वृक्षारोपण, नदियों की सफाई इत्यादि, जल प्रबंधन की बड़ी योजना के अंग हैं। इस दृष्टि से भवनों में वॉटर रिचार्जिंग के उपाय भी किये जाते हैं परन्तु नगरीय क्षेत्रों में तलाबों के अभाव के कारण ये अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि शहरी विकास मंत्रालय इस बात को सुनिश्चित करे कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत किये जाने वाली कॉलोनियों व बहुमंजिली इमारतों के परिसरों में तालाब बनवाया जाना आनिवार्य किया जाये ताकि इनके माध्यम से वॉटर रिचार्जिंग प्रभावी ढंग से की सके तथा भूगर्भ जल के स्तर में सुधार किया जा सके।

(आठ) कृषि उत्पादों के लिए समयबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : देश की सरकार किसानों के हित में बहुत अच्छा कदम उठा रही है। जैसे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं मृदा परीक्षण योजना इत्यादि, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिले और किसान खुशहाल हो। फिर भी कई ऐसे मजबूर गरीब किसान हैं, जो जरूरतों को पूरा करने, अपने कर्ज चुकानें, घर परिवार चलाने हेतू अपनी तैयार फसल को बाजार में व्यापारियों के पास कम कीमत में बेच देते हैं। व्यापारी वर्ग द्वारा उत्पादन लागत से कम कीमत पर तैयार फसल को खरीदने से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और छोटे व्यापारियों को उनकी लागत के बराबर तैयार फसल का मूल्य नहीं मिल पाता है और न ही उन्हें लाभकरी मूल्य मिल पाता है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि जीएसटी की तरह पूरे देश में किसानों के कपास, गेहूं, चना, मूंग इत्यादि कृषि फसलों के दाम एक समान होना चाहिए और जैसे ही खेत से किसान अपने उत्पादित कृषि फसल को निकालता है उसी समय न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से घोषित करना चाहिए ताकि किसान का कभी भी शोषण न हो सके और उसे उपने उत्पादित माल का लाभकारी मूल्य मिल सके साथ ही साथ मेरी भारत सरकार से मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को खेत से पैदावर मिलने के तुरंत बाद घोषित करना चाहिए क्योंकि पैदावर के दो महीने के भीतर छोटा किसान अपनी उपज का बड़े व्यापारियों द्वारा वित्त पोषित छोटे व्यापारियों को बेच देता है क्योंकि फसल को स्टोरेज करने की क्षमता छोटे किसानों में नहीं होती और न ही उनके पास समुचित गोदाम होते हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि किसानों की उपज खेत में आने के तुरंत बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार को किसान हित में करनी चाहिए।

(नौ) बिहार के औरंगाबाद जिले में कौशल विकास और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : मैं सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि देश में कौशल विकास के अंतर्गत एक एकीकृत योजना होनी चाहिए जिससे व्यक्तिगत अन्वेषकों एवं अन्य लोगों के लिए सरकार द्वारा नवोन्मेष के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जाये जिससे कि इस देश के नौजवानों और प्रतभाशाली युवाओं को पूर्ण रूप से अनेक योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ मिल सकें।

दिसम्बर, 2015 में मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि एल डब्ल्यू ई के सभी जिला एवं संसदीय क्षेत्रों में कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं, परंतु इस दिशा में अभी तक समुचित कदम उठाये गए हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाये कि मेरे संसदीय क्षेत्र का आधिकांश हिस्सा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है, इस वजह से विशेष रूप से क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से नौजवान एवं गरीब हथियार थामने को विवश हो रहे हैं और उग्रवादी संगठनों में शामिल हो रहे हैं और आज क्षेत्र के आधिकांश ऊर्जावान व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से वंचित है।

मेरा सरकार से यह आग्रह है कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद एवं गया जिले के प्रत्येक पंचायत/प्रखण्ड, विशेषकर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पंचायतों/प्रखंडों में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ जिला मुख्यालय में हार्ड स्किल्स के लिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्लेसमेंट सेंटर की शीघ्रता से स्थापना की जाये और उनकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कराने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जाये।

(दस) साइबर गेम 'ब्लू व्हेल' की जांच किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व): कई मामलों में आत्मघाती गेम 'ब्लू व्हेल' साइबर सम्मोहन का कारण बन रहा है। कई किशोर इस गेम के आदी हो गए थे और हादसे का शिकार हो गए। इस गेम का फाइनल टास्क करते समय मुंबई में पहली बार किसी किशोर द्वारा आत्महत्या करने की खबर सामने आई है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को गंभीरता से इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि 'ब्लू व्हेल' गेम से पैदा हुए साइबर सम्मोहन के कारण पूर्वी यूरोप और रूस में लगभग 160 किशोरों की मौत हो चुकी है या उन्होंने आत्महत्या कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

(ग्यारह) बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक टेरशियरी कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : सन् 2015 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि हॉस्पिटल में टरशरी कैंसर सेंटर के लिए 45 करोड़ रूपए प्रदान करने की घोषणा की थी। बिहार सरकार के द्वारा मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव भी प्रेषित किया जा चुका है परन्तु अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा राशि निर्गत नहीं की गयी है। दरभंगा हॉस्पिटल मिथिलाचंल का एक महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है। इस सेंटर की शुरूआत से अन्य जिलों को भी लाभ आर्जित होगा।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस राशि को आतिशीघ्र निर्गत करने का कष्ट करें जिससे हॉस्पिटल में टरशरी कैंसर सेंटर की स्थापना हो सके।

(बारह) गुजरात के सरकारी उपक्रमों में विभिन्न पदों को स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए आरक्षित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : केन्द्र और राज्य सरकारों की नीति श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने की होती है। गुजरात राज्य की वर्तमान रोजगार नीति के अनुसार राज्य में प्रस्थापित राज्य एवं केन्द्र सरकार के औद्योगिक ईकाईयों तथा निजी प्रोत्साहित औद्योगिक ईकाईयों में तमाम पदों में से मिनिमम 85 प्रतिशत पदों तथा मैनेजर, सुपरवाइजर के पदों पर मिनिमम 60 प्रतिशत जगहें गुजरात राज्य में 15 सालों से स्थायी तौर पर रहते हुए स्थानिक व्यक्तियों से भरी जाती है।

मेरी मांग है कि इस गुजरात मॉडल के आधार पर केन्द्र सरकार के सभी औद्योगिक इंटरप्राइजिस तथा ज्वाइंट क्षेत्रीय उद्योग घरानों में कर्मचारी, कामगार, कारीगर वर्ग की मिनिमम 85 प्रतिशत भर्ती तथा मैनेजीरियल और सुपरवाइजरी जगहों पर मिनिमम 60 प्रतिशत भर्ती स्थानिक लोगों की ही करनी चाहिए क्योंकि स्थानिक राज्य सरकार द्वारा भूमि, पानी और इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा दी जाती है।

आधुनिक लोकतंत्र कल्याणकारी लोकतंत्र कहलाता है। इसमें श्रमिकों का योगदान देश के उत्थान में मील का पत्थर होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी श्रमेव जयते का नारा है उसको यर्थाथ रूप देने हेतु स्थानिक श्रमिकों को एक प्रकार का भर्ती का आरक्षण दिया जाए इसके लिए निमय न हों तो नियम बनाए जाएं तथा उनको क्रियान्वयन में लाया जाना चाहिए।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अस्पतालों में कैंसर का इलाज करने के लिए पृथक इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बांदा एवं चित्रकूट जिलों में कैंसर के मरीज बड़ी मात्रा में है, जिन्हें इलाज के लिए इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ आदि जगहों में जाना पड़ता है, जो हमारे यहां से 200 से 300 कि.मी. तक है। यह एक गरीब, पिछड़ा इलाका है। इलाज में लोगों के विशेषकर गरीबों के घर तथा बर्तन तक बिक जाते हैं।

अस्तु सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला अस्पतालों में कैंसर के समुचित इलाज हेतु पृथक ईकाई खोलने की कृपा करें। इस हेतु जिला अस्पताल चित्रकूट तथा बांदा में पर्याप्त जगह उपलब्ध है।

(चौदह) भारत सरकार और नागालैण्ड के एनएससीएन (आईएन) के बीच हुए समझौते के ब्यौरे के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. थोकचोम मेन्या (आंतरिक मणिपुर): भारत सरकार (जीओआई) और एनएससीएन-आईएम ने 3 अगस्त 2015 को एक समझौते की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हुए दो साल से अधिक समय हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मुइवा भारत सरकार के साथ साझा संप्रभुता की बात करते हैं। आरटीआई के माध्यम से भी, हमें इस समझौते का ब्यौरा नहीं मिल रहा है। नागालैंड जनजाति परिषद ने विवरण जाने बिना समझौते का समर्थन करने के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री से प्रश्न किया है। ग्रेटर नागालैंड के लिए एनएससीएन-आईएम की मांग अस्वीकार्य है क्योंकि इसमें मणिपुर के क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। मणिपुर की सरकार भी समझौते का ब्यौरा जानना चाहती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समझौते के बारे में प्रधानमंत्री का बयान मुइवा के बयान से विरोधाभासी है। हम इस समझौते की सामग्री को लेकर बहुत चिंतित हैं। मैं प्रधानमंत्री से मांग और आग्रह करता हूं कि वे इस चल रहे सत्र के दौरान स्थिति स्पष्ट करने के लिए लोकसभा में एक वक्तव्य दें।

(पन्द्रह) तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुद्रा योजना के कार्यान्वयन के बारे में

श्री के. परसुरमन (तंजावुर): मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के मेरे तंजावुर निर्वाचन क्षेत्र में छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को निर्देश दिया जाए। चूंकि भारत एक विकासशील देश है, इसलिए इसके छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने और फलने-फूलने की आवश्यकता है। हालांकि, विशाल आबादी और संबंधित गरीबी रेखा को ध्यान में रखते हुए, इसे पूरा करना आसान काम नहीं है। इसलिए, सरकार ने 2015 में मुद्रा योजना शुरू की। सरकार ने इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। तंजावुर जिले में, हर साल लगभग 50,000 स्नातक कॉलेजों से निकलते हैं। उनमें से 15,000 उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, 15,000 निजी कंपनियों में नौकरियों के लिए और 15,000 युवा उद्यमी बन सकते हैं। बैंकों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करके एक वर्ष में कम से कम 1000 लोगों की मदद करनी चाहिए। हालांकि, यह देखा गया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ बैंकों ने किसी न किसी बहाने ऋण स्वीकृत करने से इनकार कर दिया है। इसलिए मैं सरकार से इस योजना का मूल्यांकन करने और गलतियों को सुधारने और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिक युवा उद्यमियों को शामिल करने के लिए लक्ष्य स्तर को बढ़ाने का भी आग्रह करता हूँ।

(सोलह) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम के भुगतान की व्यवस्था में सुधार किए जाने की आवश्यकता

डॉ. के. गोपाल (नागपट्टिनम): इस सरकार द्वारा पिछले साल नई फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। यह पिछली राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से बेहतर है। लेकिन योजना में कई खामियां हैं। आम तौर पर अपने पीएसी बैंक में नामांकन कराने वाले किसान कर्जदार किसानों को प्राथमिकता देते हैं। वे गैर-ऋणी किसानों के नामांकन में देरी का कारण बनते हैं और उन्हें नियत तिथि तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति भी नहीं मिलती है। वे एक विशेष देय तिथि तय करते हैं और किसानों को उस तिथि के भीतर प्रीमियम का भुगतान करने की सलाह देते हैं। इससे गैर-ऋणी किसानों से प्रीमियम राशि स्वीकार करने में देरी होती है।

कुछ किसान तय तिथि के अंदर प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो कुछ को तारीख की जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार चूक होती है और साथ ही एकत्रित प्रीमियम राशि को निर्धारित तिथि के भीतर बीमा कंपनी तक पहुँचना चाहिए। अधिकांश पीएसीबी और ग्रामीण बैंकों में उचित इंटरनेट सेवा नहीं है और सर्वर की समस्या है। भुगतान विवरण बीमा कंपनियों तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है। इसलिए बीमा कंपनियों को इस प्रक्रिया के लिए कम-से-कम एक महीने का समय और बढ़ाना चाहिए।

बीमा कंपनियों को तिरुवरूर और नागपट्टिनम जिले में ग्रामीण स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) स्थापित करना चाहिए। उन्हें तिरुवरूर में 573 केंद्र और नागपट्टिनम में 523 केंद्र स्थापित करने होंगे। लेकिन उनके पास केवल 100 से कम केंद्र हैं। इसलिए, उपरोक्त वर्णित संख्या सीएससी को ग्राम स्तर पर तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए।

सीएससी के माध्यम से प्रीमियम एकत्र करने वाले एजेंटों के पास विभिन्न कर्तव्य हैं जैसे, किसानों का विवरण दर्ज करना, फसलों की विविधता, क्षेत्र की फोटो अपडेट, केंद्र सरकार के पोर्टल और राज्य सरकार के

पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि। वे प्रत्येक गांव में 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स (सीसीई) भी करते हैं। तिरुवरुर और नागापट्टिनम में उन्हें सभी फसलों में 25,000 से अधिक सीसीई का संचालन करना चाहिए। सीएससी एजेंटों का मानदेय बहुत कम है, उन्हें मात्र 5,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसलिए एजेंट आवश्यक कार्यों को करने के लिए आगे नहीं आते हैं। इसलिए, सीएससी कर्मचारियों का मानदेय सरकार के माध्यम से दिया जाए।

बीमा राशि की गणना वर्ष की उपज, यानी 5 वर्ष की अच्छी उपज, 2 वर्ष की खराब उपज को देखते हुए की जाती है। खराब उपज से बचना चाहिए, साथ ही बीमा राशि का वितरण जिलेवार या लाटवार नहीं बल्कि प्रत्येक गांव के लिए अलग-अलग करना चाहिए। यदि वे इसे ग्रामीण स्तर पर देते हैं तो राशि को शीघ्र वितरित करना आसान होता है।

तिरुवरूर, थिरुथुराईपूंडी, कोल्टूर, मुत्थुपेट्टई, नन्नीलम, तिरुवरुर ब्लॉकों में, थ्रेशोल्ड उपज बहुत कम है। इस मामले में उन्हें केवल उच्च उपज वाले ब्लॉकों पर विचार करना चाहिए और सभी ब्लॉकों के लिए समान रूप से बीमा राशि का भुगतान करना चाहिए। ताकि किसानों के अंदर बीमा राशि में होने वाले अंतर से बचा जा सकेगा।

अंततः बीमा का भुगतान किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2016-17 में पूरे भारत में किसानों का योगदान 2000 करोड़ रुपये है। केंद्र और राज्य सरकार का योगदान 7000 करोड़ रुपये है। जब पूरे भारत में सूखा पड़ा तो बीमा कंपनियों ने किसानों को केवल 4500 करोड़ रुपये का भुगतान किया, शेष 4500 करोड़ रुपये बीमा कंपनियों के लिए शुद्ध लाभ है। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि बीमा कम्पनियां निधि का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेती हैं। इसलिए मैं सरकार को सलाह देता हूं कि वह किसानों को बीमा राशि का भुगतान सरकारी एजेंसियों के माध्यम से करे।

(सत्रह) एयर इंडिया के विनिवेश के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): एयर इंडिया ने दशकों तक देश की सेवा की है और हमेशा राष्ट्रीय आह्वान की सेवा के लिए तत्पर रहा है। यदि आज कंपनी इस वित्तीय स्थिति में है तो इसका कारण वह स्वयं नहीं है, बल्कि इसके लिए एक के बाद एक आने वाली सरकारें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने एयर इंडिया को घाटे में रखा और इसे अपनी निजी संपत्ति की तरह माना तथा कई बार निजी एयरलाइनों को तरजीह दी गई। सरकार ने हाल ही में एयर इंडिया और उसकी 5 सहायक कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव दिया है। 2012 में शुरू की गई टी.पी. की बदौलत, 2015 से एयर इंडिया ने पुनरुद्धार के अच्छे संकेत दर्शाए हैं। 10 वर्षों में पहली बार एयर इंडिया ने 2015 में 105 करोड़ रुपये तथा 2016 में 205 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ दर्ज किया। चूंकि सरकार संचार क्षेत्र में बीएसएनएल, एमटीएनएल तथा प्रसारण क्षेत्र में डीडी और एआईआर का संचालन करती है, इसलिए उसके पास एक राष्ट्रीय वाहक भी होना चाहिए।

मैं सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और एयर इंडिया के ऋण के पुनर्गठन पर काम करने का आग्रह करता हूँ।

(अठारह) ओडिशा के मलकानगिरी में भारतीय जीवन बीमा निगम की एक शाखा स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): ओडिशा में 30 जिले हैं। मलकानगिरी जिला, जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है, सभी मामलों में 30वें स्थान पर है और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से भी सबसे दूर है। यह राज्य का एकमात्र जिला है जिसके पास एलआईसी की कोई शाखा नहीं है। निकटतम शाखा कोरापुट जिले में जेपोर में है जो मलकानगिरी जिला मुख्यालय से 100 किमी दूर है और इसके सबसे दूरस्थ स्थान यानी मोटू से 200 किमी दूर है। मैच्योरिटी मनी, कैशबैक मनी या डेथ क्लेम निकालने के लिए, लाभार्थियों को 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती है। इससे कई लोग एलआईसी पॉलिसी लेने से कतराने लगते हैं। मलकानगिरी में शाखा कार्यालय खोलने से लोग एलआईसी पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे क्योंकि इससे सभी लेन-देन आसान, सरल और परेशानी मुक्त हो जाएंगे। सरकार से अनुरोध है कि वह संबंधित अधिकारियों को मलकानगिरी में एलआईसी का एक शाखा कार्यालय खोलने की सलाह दें।

(उन्नीस) मुंबई विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर वर्तमान में बसी झोपड़पट्टी के पुनर्वास के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : मुंबई एयरपोर्ट अथारिटि की तकरीबन 175 एकड़ जगह पर कम से कम 80 हजार से भी ज्यादा झुग्गी झोंपड़ी पट्टियाँ बसी हुई हैं। पिछले 50 वर्षों से भी ज्यादा वर्षों से बसी हुई इन झोंपड़ पट्टियों में अनेक प्राथमिक सुविधाओं की समस्या है। जैसे शौचालय, पीने का पानी, रास्ते एवं अन्य सुविधा न होने की वजह से बस्ती में रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी सहनी पड़ती हैं। इन झोपड़ पट्टियों का पुनर्वास करने की योजना केन्द्र सरकार ने बनाई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। अतः केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार की जमीन पर बसी हुई झोपड़ पट्टियों का पुनर्वास का निर्णय लिया है। मेरी प्रार्थना है कि मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर बसी हुई पट्टियों का पुनर्वास राज्य सरकार के माध्यम से जल्दी से जल्दी करने की योजना बनाएं।

(बीस) केरल के पालक्काड़ में एक नया रेल कोच कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. बी. राजेश (पालक्काड़): रेल बजट, 2008 में एक नई रेल कोच फैक्ट्री परियोजना की घोषणा की गई थी और 2012 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। सितम्बर 2013 में अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) जारी किया गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रियात्मक बोलियां प्राप्त नहीं हुईं। हालांकि तब से यह निर्णय लिया गया था कि व्यापार मॉडल को निवेश के लिए अधिक अनुकूल बनाया जाएगा तथा एक नया आरएफक्यू जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) ने कोच फैक्ट्री के लिए संयुक्त उद्यम में रुचि दिखाई थी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना को 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत लाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं तथा इसे समयबद्ध तरीके से चालू करने के लिए सेल सहित किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम की संभावना तलाशने के लिए एक नया आरएफक्यू जारी किया जाए।

(इक्कीस) दिशा समिति के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु): केंद्र सरकार ने लगभग सभी महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी विकास समन्वय के लिए 28 जुलाई, 2016 को संसद सदस्य, लोक सभा की अध्यक्षता में विधान समिति का गठन किया था। लोक सभा में एक वक्तव्य देते हुए, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि यह समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों की 28 योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी ताकि अधिक प्रभाव के लिए तालमेल और अभिसरण को बढ़ावा दिया जा सके।

इन बैठकों को हर तिमाही में एक बार आयोजित किया जाना चाहिए और यह अनिवार्य माना जाता है। लेकिन कई जिलों में दिशानिर्देशों के अनुसार बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। इन बैठकों की समीक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जा रही है तथा दिशा समिति की कार्यवाही का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इसलिए, मैं ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे दिशा के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें, साथ ही जिला प्रशासन पर कड़ी निगरानी रखने और जिम्मेदारी तय करने के लिए एक नीति तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

(बाईस) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): 13 जुलाई 2016 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कर्जत तालुका के कोपर्डी गांव में तीन लोगों ने एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार किया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। नाबालिग पर हमले को एक साल हो गया है और पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिला है। एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न्याय मिलना बाकी है। वर्ष 2014 के अंत तक उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या तीन करोड़ से अधिक है। इन लंबित मामलों में से, 9.2% मामले इन न्यायालयों में दस वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। महिलाओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किए गए अपराध, कुल आईपीसी अपराधों के अनुपात के रूप में 2014 में बढ़कर 11.4 प्रतिशत हो गए हैं। इस प्रकार, मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए सुरक्षा उपाय करने तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने में राज्यों की सहायता करने के लिए केन्द्र को अत्यधिक आवश्यकता है।

(तेईस) उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक नया सैनिक स्कूल खोले जाने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी): उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना की वर्षों से मांग है। मैनपुरी के अलावा फर्रूखाबाद, एटा, इटावा के लोगों के लिए सेना का बड़ा आकर्षण है। अभिभावक सैनिक स्कूल की शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित रहते हैं। इसके लिए राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ 30 अप्रैल, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षार किये गए।

उत्तर प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत प्रयास से 240 करोड़ की लागत से सैनिक के निर्माण में तेजी लायी गयी। स्कूल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसी साल अप्रैल, 2017 में कक्षाएं भी शुरू कराने का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार व रक्षा मंत्रालय को भेजा जा चुका है लेकिन अभी तक मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

सरकार से मेरी मांग है कि सैनिक स्कूल को प्रारंभ करने के लिए उचित कदम उठाये जाएं जिससे शैक्षणिक सत्र अतिशीघ्र शुरू हो सके।

अपराह्न 12. 10 बजे

सांविधिक संकल्प: आधारिक सीमा शुल्क में वृद्धि

[अनुवाद]

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री और रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अनुसरण में, सभा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 56/2017-सीमाशुल्क [सा.का.नि. 797(अ) दिनांक 30 जून, 2017] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर आधारिक सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 10% करना है, का अनुमोदन करती है:-

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण
1.	8443 32 90	लाइन प्रिंटर के अलावा प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेटर क्वालिटी डेजी व्हिल प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, फैसीमाइल मशीन
2.	8443 99 51	प्रिंट हेड असेम्बली सहित इंक कार्ट्रिज
3.	8443 99 52	प्रिंट हेड असेम्बली रहित इंक कार्ट्रिज
4.	8443 99 53	इंक स्प्रे नोजल

5.	8517 12 10	सेल्यूलर नेटवर्क अथवा अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन (पुश बटन टाइप)
6.	8517 12 90	सेल्यूलर नेटवर्क अथवा अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन (पुश बटन टाइप को छोड़कर)
7.	8517 61 00	बेस स्टेशन
8.	8517 70 90	सघन, भारित अथवा भरे हुए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अलावा टैरिफ शीर्ष 8517 के अधीन वस्तुओं के पुर्जे।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अनुसरण में, सभा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 56/2017-सीमाशुल्क [सा.का.नि.797 (अ) दिनांक 30 जून, 2017] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर आधारिक सीमाशुल्क शून्य से बढ़ाकर 10% करना है, का अनुमोदन करती है:-

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण
1.	8443 32 90	लाइन प्रिंटर के अलावा प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेटर क्वालिटी डेजी व्हिल प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, फैसीमाइल मशीन
2.	8443 99 51	प्रिंट हेड असेम्बली सहित इंक काट्रिज
3.	8443 99 52	प्रिंट हेड असेम्बली रहित इंक काट्रिज
4.	8443 99 53	इंक स्प्रे नोजल
5.	8517 12 10	सेल्यूलर नेटवर्क अथवा अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन (पुश बटन टाइप)

6.	8517 12 90	सेल्यूलर नेटवर्क अथवा अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन (पुश बटन टाइप को छोड़कर)
7.	8517 61 00	बेस स्टेशन
8.	8517 70 90	सघन, भारित अथवा भरे हुए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अलावा टैरिफ शीर्ष 8517 के अधीन वस्तुओं के पुर्जे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब, 'शून्य काल'।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बार-बार एक ही बात थोड़ी होती है।

… *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक क्लेरिफिकेशन है।

माननीय अध्यक्ष : अब क्या क्लेरिफिकेशन है ?

… *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.12 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन... जारी

गुजरात में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष पर कथित हमला

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक क्लेरिफिकेशन है।

माननीय अध्यक्ष : अब क्या क्लेरिफिकेशन है ?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, क्लेरिफिकेशन पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश को भी गुमराह किया, उन्होंने सदन को भी गुमराह करने का स्टेटमेंट दिया।...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंतकुमार): महोदया, मैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूरी तरह असहमत हूं। यदि कोई देश को गुमराह कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है।...(व्यवधान) यदि गुमराह कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी गुमराह कर रहे हैं।...(व्यवधान) वह कहां-कहां जा रहे हैं।...(व्यवधान) राहुल गांधी जी को एसपीजी कवर क्यों चाहिए, यदि वह एसपीजी कवर यूज़ नहीं कर रहे हैं? इतना पैसा देश का खर्च हो रहा है?...(व्यवधान) हम एसपीजी कवर देने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार एसपीजी कवर दे चुकी है।...(व्यवधान) हम पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उनको भी रिस्पांसिबल रहना चाहिए।...(व्यवधान) उनको एसपीजी कवर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए।...(व्यवधान) उस प्रोटेक्शन का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए।...(व्यवधान) जब वह विदेश यात्रा के लिए जाते हैं तो एसपीजी कवर क्यों नहीं लेकर जाते हैं?...(व्यवधान) वहां भी ले जाना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जितेन्द्र जी, क्या अब हर एक को एक ही विषय पर बोलना है?

... *(व्यवधान)*

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पता है कि एजर्नमेंट मोशन को आप हेट करती हैं।...(व्यवधान) आप उस शब्द से नफरत करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: मुझे इस शब्द से नफरत नहीं है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : सभा की मर्यादा रखते हुए मैंने एजर्नमेंट मोशन नहीं दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जीएसटी के मामले में जिस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया था कि पांच परसेंट टैक्स वैट के ऊपर तेलंगाना में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स 2,30,000 करोड़ का काम चल रहा है।...(व्यवधान) 18 परसेंट टैक्स लगाने से पूरे तेलंगाना में फाइनेंस की गड़बड़ हो जाएगी इसलिए इसे रोल बैक करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : बार-बार एक ही बात को उठा रहे हैं?

श्री देवेन्द्र सिंह भोले।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : जीएसटी काउंसिल में इस बात को उठाया गया है, इमीडिएटली इस पर एक्शन लेकर रोल बैक करना चाहिए। हमारी तरफ से यह विनती है। …(व्यवधान) आपको इस पर तेलंगाना को बचाना चाहिए। नहीं तो तेलंगाना का बजट ऊपर-नीचे हो जाएगा। …(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): मैं आपके माध्मय से सदन और सरकार का ध्यान देश एवं प्रदेश के लिए दिव्यांग जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऑल इंडिया इंस्टीट्याूट आफ स्पीच एवं हियरिंग की स्थापना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। …(व्यवधान)

मूक बधिरों एवं दिव्यांग जनों के इलाज की कोई उचित व्यवस्था देश और प्रदेश में नहीं है, जिसके कारण न जाने कितने दिव्यांग आज भी अपनी दिव्यांगता को कोसते हुए लाचारी की जिंदगी जीने को तरसते हैं। …(व्यवधान) देश के दिव्यांग जनों की ऐसी दशा को देखते हुए मैंने माननीय मंत्री जी से ऑल इंडिया स्पीच इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग की स्थापना कराए जाने के लिए आग्रह किया था। इस संबंध में कानपुर नगर ने कई पत्रों द्वारा कानपुर महानगर प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा और जिलाधिकारी द्वारा 20 एकड़ जमीन की मांग की थी और वह जमीन उपलब्ध करा दी गई है। …(व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.13 बजे</u>

(इस समय श्री एम. आई. शानवास और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

मैं इस संबंध में लगातार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर स्पीच एंड हियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए मांग कर रहा हूं। …(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका

संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी सरकर को निर्देश करने की कृपा करें और स्पीच एंड हियरिंग विद्यालय खोलने की शासन स्तर से व्यवस्था कराएं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप जी, एक ही विषय बार-बार नहीं उठाना है।

... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैं दो मिनट में अपनी बात कहूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदया, राहुल गांधी जी देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं। मेरा मानना है कि इसमें कोई 'अगर', 'मगर' या प्रश्न नहीं होने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: ऐसा कोई नहीं कह रहा है।

अपराह्न 12.15 बजे

(इस समय श्री एम. आई. शानवास तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य

अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: उन पर किया गया हमला निःसंदेह अत्यंत निंदनीय है। यह अपमानजनक भी है। इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। हमारा मानना है कि यह समाज में व्याप्त असहिष्णुता का प्रतिबिंब है।

यदि कोई राजनीतिक नेता चुनाव प्रचार या किसी पार्टी कार्य के लिए जाता है, तो उसे ठीक से काम करने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए? मुझे लगता है, राजनाथ जी ने यह कहा है और मैं राहुल जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे हमेशा एसपीजी सुरक्षा कवर के साथ चलें। उनका जीवन हम सभी के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इस पहलू का भी बहुत ध्यान रखना होगा। किसी के ऊपर पत्थर फेंकना, कोई भी कोई भी संकेत या समर्थन नहीं दे सकता है। इसलिए सभा को इस घटना की कड़ी निंदा करनी चाहिए और उनके जीवन की उचित सुरक्षा की जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री अजय मिश्रा।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदया, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ...(व्यवधान) 9 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसकी 8 अगस्त, 1942 को घोषणा की गयी थी। ...(व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.16 बजे</u>

(इस समय श्री बी. एन. चंद्रप्पा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह वह आंदोलन था, जिससे तय हो गया था और अंग्रेजों ने भी मान लिया था कि अब भारत को स्वतंत्रता देनी ही होगी। ...(व्यवधान) वर्ष 1942 से वर्ष 1947 के बीच में ऐसी सभी प्रारंभिक बातें, जैसे संविधान का निर्माण, सत्ता का हस्तांतरण आदि हुई थीं। ...(व्यवधान) हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए तय किया है कि हम पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो आने वाले पांच वर्षों ...(व्यवधान) जैसे वर्ष 1942 से वर्ष 1947 के बीच हुआ था, वैसे ही हम वर्ष 2017

से वर्ष 2022 के बीच में भारत देश को विकासशील देश की श्रेणी से निकालकर विकसित देश की श्रेणी में लायें। ...(व्यवधान) इस देश के सब लोगों को मकान और रोजगार मिले। ...(व्यवधान) सबकी जेब में पैसा हो, ऐसा लक्ष्य हमारे प्रधान मंत्री जी का है। ...(व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.17 बजे</u>

(इस समय श्री चौधरी मोहन जटुआ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। ...(व्यवधान) यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्वतंत्रता संग्राम के सब सेनानियों को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन देते हुए अपने जिले के दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। ...(व्यवधान) वर्ष 1942 का आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें आखिरी फांसी मेरे लोक सभा क्षेत्र के श्री राज नारायण मिश्र को हुई थी। ...(व्यवधान) उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कोई फांसी नहीं हुई। ...(व्यवधान) दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बंसीधर शुक्ल हैं, जिनके गाये हुए गीतों को स्वतंत्रता आंदोलन और नेताजी सुभाष चन्द बोस की आजाद हिन्द फौज गाती थी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर एक स्मारक लखीमपुर जिले में बनाया जाये। ...(व्यवधान) मैं सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपनी श्रद्धा सुमन आर्पित करता हूं। ...(व्यवधान) मैं सदन के विरोधी पक्ष से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष पर प्रधान मंत्री जी के टास्क का संज्ञान लेते हुए इस देश को पांच साल में एक विकसित देश बनाने के लिए अपना योगदान दें। ...(व्यवधान) इस देश के सब लोग सुखी हों, ऐसा पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, उसे पूरा करने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री आश्विनी कुमार चौबे को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह उचित नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप नहीं चाहते कि सभा चले।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : होम मिनिस्टर ने स्टेटमैंट भी दिया है। यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैंने आज जीरो ऑवर में जो नोटिस दिया था ...(व्यवधान) मेरी फोन पर बात हुई, तो वह मैटर सॉल्व हो गया है। ...(व्यवधान) अगर आपकी परमिशन हो, तो मैं सदन में एक और इम्पोर्टेंट मैटर उठाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, अभी रविवार को सारे अखबारों में केरल के विषय में दो खबरें छपी थीं। ...(व्यवधान) पहली खबर माननीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री जी के दौरे के बारे में थी कि किस तरीके से वहां क्या हुआ?...(व्यवधान) दूसरी खबर एक अखबार में छपी थी कि सीपीएम की सरकार ने जुनैद के परिवार को दस लाख रुपये मुआवजा देने के बारे में तय किया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन में आपके माध्यम से यह विषय उठाना चाहती हूं कि हम क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर की लगातार बात करते हैं, तो उसके तहत राज्य सरकार को राज्य के लोगों के लिए कार्रवाई करनी है। ...(व्यवधान) वहां पर 500 मकान जला दिये गये। ...(व्यवधान) 11 लोगों के घर एक दिन में जले और 30

लोगों के घर तीन दिन के अंदर जले। ...(व्यवधान) वहां 500 मकान जलाए जाने के बाद लोग बेघर हो गए हैं।...(व्यवधान) वहां 13 महीनों के अंदर 14 हत्याएं हुई हैं, जिनमें से चार दलित लोगों की हत्या हुई है। उनके लिए राज्य सरकार ने कोई कंपनसेशन नहीं दिया।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि उन लोगों को कंपनसेशन मिले, क्योंकि यह राज्य का केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य है। ...(व्यवधान) अपने कर्तव्यों में सीपीएम सरकार लगातार विफल होती दिखाई दे रही है और जुनैद के नाम पर राजनीति करना चाहती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शिवकुमार उदासि, श्री देवजी एम. पटेल, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ.मनोज राजोरिया, प्रो. रिचर्ड हे एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। यह कोई तरीका नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा बुधवार, 9 अगस्त, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.21 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 9 अगस्त, 2017 / 18 श्रावण, 1939 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं***:***

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2017 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित